

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3 के उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

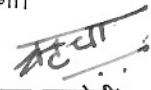
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

का.आ. सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा आयकर नियमावली, 1962 (उक्त नियमावली) के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) के प्रयोजनार्थ **इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी नाथालाल पारेख मार्ग, माटुंगा, मुंबई (पैन-एएएटीआई4951जे)** नामक संगठन को निर्धारण वर्ष 2014-15 और इससे आगे की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान कार्यकलापों में लगे **“विश्वविद्यालय कॉलेज अथवा अन्य संस्थान”** की श्रेणी में अनुमोदित किया जाता है, नामतः:-

- (i) अनुमोदित संगठन को प्रदत्त राशि का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाएगा ;
 - (ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों अथवा अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान करेगा;
 - (iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में अलग लेखा बहियां रखेगा जिनमें अनुसंधान करने के लिए प्रयुक्त राशि दर्शाई गई हो, ऐसी खाता-बहियों की उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप धारा (2) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखाकार से लेखा परीक्षा कराएगा और उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप धारा (1) के अंतर्गत आय विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित एवं हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;
 - (iv) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान तथा प्रयुक्त राशि का अलग विवरण रखेगा और उपर्युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत सत्यापित ऐसे विवरण की प्रति प्रस्तुत करेगा।
2. केंद्र सरकार यह अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन:-
- (क) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अलग लेखा बहियां रखने में असफल रहता है; अथवा
 - (ख) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iii) में यथा उल्लिखित अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
 - (ग) पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (iv) में यथा उल्लिखित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त दान एवं प्रयुक्त धनराशि का विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है; अथवा
 - (घ) अपने अनुसंधान कार्य कलापों को करना बंद कर देता है अथवा इसके अनुसंधान कार्य कलापों को वास्तविक नहीं पाया जाता है; अथवा
 - (ड.) उक्त नियमावली के नियम 5ग और 5ड. के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ii) के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होगा तथा उनका पालन नहीं करेगा।


(ऋचा रस्तोगी)

अवर सचिव, भारत सरकार
(फा.सं.203/13/2014-आ.क.नि.-II)

अधिसूचना सं.42/2015

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषित:-

- 1 आवेदक संगठन, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी नाथालाल पारेख मार्ग, माटुंगा, मुंबई।
2. मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), नई दिल्ली।
3. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
4. आयकर आयुक्त छूट, मुंबई।
5. संबंधित फाइल।
6. विधि एवं न्याय मंत्रालय (संशोधन अनुभाग), नई दिल्ली।
- ✓ 7. आयकर निदेशक (प्रणाली), नई दिल्ली को वेबसाइट incometaxindia.gov.in. में डालने हेतु।
8. गार्ड फाइल। (पैन-एएएटीआई4951जे)
9. आईटीसीसी, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (5 प्रतियां)।

रुचा

(रुचा रस्तोगी)

अवर सचिव (आ.क.नि-11)